

03/04/25

अधिवक्ता अपीलेंट अनुपास्थित। प्रकरण में अपीलेंट
संबंध उनके अधिवक्ता को न्यायालय की ओर
से बार-बार आवेदन लगाने के बावजूद उरीर
उपास्थित नहीं आया। लिहाजा पत्रावली अदम
टापिरी अदम पैरनी में खारिज की गयी है।
पत्रावली फैसला सुमार लेकर बाद आवश्यक कार्य
बाही दाखिल हुम्त हो।